पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 149/2024 दिनांक- 08.05.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- सरायमीर

अवैध मिट्टी खनन करने वाला 01 जे0सी0बी0 05 टैक्टर सीज

पूर्व की घटना –

दिनांक 08.05.2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि "ग्राम सुरही बुजुर्ग थाना सरायमीर तहसील निजामाबाद जिला आजमगढ़ में शिव मन्दिर से लगभग 700 मीटर दक्षिण मंगई नदी के पुल से लगभग 500 मीटर पश्चिम शमशान घाट से लगभग 700 मी0 दक्षिण और मगई नदी से सटा पोखरा 700 मी दक्षिण और मगई नदी से सटा पोखरा में मिट्टी निकाल के बेच रहे है और अवैध खनन कर रहे है कई लाखो की मिट्टी निकाल के बेच चुके है और आज़ भी निकाल के बेच रहे है। जेसीबी नम्बर up50 CT xxxx है, साथ में आठ टैक्टर भी है और ये बिना किसी परमिशन के दबंग किस्म के व्यक्ति श्याम लाल यादव व रामलाल यादव पुत्रगण रामजतन यादव ग्राम गाहूखोर थाना सरायमीर तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के निवासी है श्यामलाल यादव आदि यही जेसीबी चलवाते है JCB मालिक राजेश पुत्र रामजतन ग्राम गोकुलपुर थाना सरायमीर तहसील निजामाबाद जिला आजमगढ़ के निवासी है।"

कार्यवाही विवरण- उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सरायमीर यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह व खनन प्रभारी राजकुमार संगम के ग्राम सुरही बुजुर्ग पहुंचे जहां पर एक जेसीबी मय वाहन स्वामी श्यामलाल यादव पुत्र रामजीत सा0 गाहूखोर थाना सरायमीर आजमगढ़ व 05 ट्रैक्टर क्रमशः 1.ट्रैक्टर स्वराज 744 FE चालक रामकेश पाल पुत्र बलिराम पाल सा0 टण्डवा राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर आजमगढ़ 2. ट्रैक्टर पावर ट्रैक 439 प्लस चालक विन्द्रेश यादव पुत्र स्व0 रामअजोर यादव सा0 ओहिरीपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ 3. ट्रैक्टर पावर ट्रैक 47 यूरो चालक आशीष यादव पुत्र अरविन्द यादव सा0 गाहूखोर थाना सरायमीर आजमगढ़ 4. ट्रैक्टर महेन्द्रा 265 डीआई चालक गोविन्द यादव पुत्र अरविन्द यादव सा0 गाहूखोर थाना सरायमीर आजमगढ़ 5. ट्रैक्टर स्वराज 742 XT खनन करने का परमिशन मांगा गया तो नही दिखाये। उक्त जेसीबी व ट्रैक्टर को थाना परिसर में लाकर सीज किया गया हैं ।

थाना बिलरियागंज

हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व घटना विवरण -

दिनांक 07.05.2024 को वादी मुकदमा विक्रम सरोज पुत्र स्व0 नठरू सरोज ग्राम व पो0 विजयापार थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि वादी मुकदमा के तीसरे लड़के जियालाल सरोज उर्फ अजय पासवान जो मनबढ़ किस्म का व्यक्ति है जो दारू शराब पीकर अपने भाई रंजीत सरोज से बात विवाद कर घर मे तोड़फोड़ करने, घर में आग लगा देने जिससे सारा कपड़ा लता सारा सामान जल जाने व रंजीत सरोज द्वारा मना करने पर जान से मारने की नियत से चाकू मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया गया तथा गाली गुप्ता देते हुए जान से मार डालने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/24 धारा 307, 436, 427, 504, 506 भादवि बनाम जियालाल सरोज पुत्र विक्रम सरोज निवासी ग्राम व पो0 विजयापार थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त जियालाल सरोज उर्फ अजय पासवान के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त चाकू के साथ आज गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 08.05.2024 उ0नि0 अवधेश उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त जियालाल सरोज पुत्र विक्रम सरोज निवासी ग्राम व पो0 विजयापार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को मधनापार मोड़ के पास समय करीब 08.25 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशान देही पर घटना प्रयुक्त 01 चाकू को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 144/24 धारा 307, 436, 427, 504, 506 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-जियालाल सरोज उर्फ अजय पासवान पुत्र श्री विक्रम सरोज ग्राम व पो0 विजयापार थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़

बरामदगी- 01 चाकू।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 अवधेश उपाध्याय थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. का0 बासुकिनाथ सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

वांछित अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 22.02.2024 को वादी मुकदमा दशरथ यादव पुत्र स्व0 श्री श्यामनरायन यादव ग्राम- चकसेठवल थाना रानी की सराय आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 21.02.2024 को समय लगभग 8.00 शाम को पूर्व मे 07.01.2024 को हुए विवाद व लड़ाई-झगड़ा मे सुलह समझौता करने के लिए मेरे लड़के रवि यादव (रविकान्त) को विमलेश गिरी पुत्र अज्ञात ग्राम अन्धौरी अपने मो0नम्बर 91619xxxxx से मेरे लड़के रविकान्त के मो0नम्बर 97952xxxxx पर फोन करके बुलाया जब नही गया तो रोशन गिरी पुत्र प्रवीण गिरी ग्राम अन्धौरी मेरे लड़के को दुबारा अपने मोबाईल से फोन किया जिस पर मेरा लड़का रविकान्त अपने चचेरे भाई रितेश यादव पुत्र श्री फौजदार यादव के साथ उनके द्वारा बुलाये गये स्थान पर सेखरहमत स्कूल रानी की सराय गये वहाँ पर रोशन गिरी पुत्र अज्ञात विमलेश गिरी पुत्र अज्ञात संगम सरोज पुत्र डाँ0 महेन्द्र पासवान अभिषेक कुमार पुत्र अवधेश कुमार ज्ञानचन्द्र पुत्र धरमदेव यादव, अंश राय पुत्र अज्ञात निवासीगण चकसेठवल रानी- की सराय व चार पाँच अज्ञात व्यक्ति पहले से मौजूद थे किन्तु समझौता की बात करने की बजाय लोहे की राड जो पहले से लिए थे गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे जिससे रविकान्त के सिर के पिछले हिस्से में गम्भीर चोट आने के कारण तुरन्त गिरकर बेहोश हो गया गिरने के उपरान्त जान से मारने की धमकी देते हुए सभी व्यक्ति भाग गये के दाखिल किया कि दाखिला प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 54/2024 धारा 34/323/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनाँक 07.05.2024 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र अवधेश कुमार ग्राम चकसेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को निजामाबाद मोड़ से एक तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 22.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से बरामद तमन्चा कारतूस के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 123/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 54/2024 धारा 34/323/504/506 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 123/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 54/2024 धारा 34/323/504/506 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 123/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 32/2022 धारा 504/506 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0 40/2024 धारा 323/504 भा0द0वि0 व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़.

गिरफ्तार अभियुक्त – अभिषेक कुमार पुत्र अवधेश कुमार ग्राम चकसेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

बरामदगी- एक नाजायज तमन्चा 315 बोर व तीन जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 संतोष यादव, मय हमराह थाना रानी की सराय आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 23.04.2024 को वादी मुकदमा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनाँक 21.04.24 को मेरे घर मेरी बहन की शादी थी पूरा परिवार शादी कार्य मे व्यस्त थे । मौके का लाभ उठा कर विपक्षी पल्लू राजभर पुत्र स्व0 छेदी राजभर ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर रात मे ही कहीं भगा ले गया है, के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/2024 धारा 363 भा0द0वि0 बनाम पल्लू राजभर पुत्र स्व0 छेदी राजभर ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक 08.05.2024 को उ0नि0 संतोष यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पल्लू राजभर पुत्र स्व0 छेदी राजभर ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी क सराय जनपद आजमगढ़ को बेलइसा तिराहे से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 108/2024 धारा 363/36/376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सों एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त – पल्लू राजभर उर्फ अरविन्द राजभर पुत्र स्व0 छेदी राजभर ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी की सराय आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 संतोष कुमार यादव, मय हमराह हे0कां0 चन्दन कुमार व कां0 कृष्ण कुमार यादव, म0कां0 पूजा चौहान थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देना वाला आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 04.05.24 को वादिनी मुकदमा ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी समीर यादव पुत्र सुधिराम यादव ग्राम गद्दीपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ द्वारा अपने मोबाइल से वादिनी मुकदमा/पीड़िता के मोबाइल पर करीब दो माह से बात करते थे कुछ अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया है पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध मेरे मर्जी के बिना बना लिया था फिर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए कहा और दबाब वनाने लगा तो पीड़िताने मना कर दिया तब विपक्षी समीर यादव ने मेरा अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा तथा जान मारने की धमकी भी देने लगा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं 168/24 धारा 376/506 भादवि व 67A IT ACT बनाम समीर यादव पुत्र सुधिराम यादव निवासी गद्दीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ के पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 08.05.2024 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त समीर यादव पुत्र सुधिराम यादव निवासी गद्दीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ को समय 06.00 बजे ग्राम देवईत के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से एक मोबाइल बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं 168/24 धारा 376/506 भादवि व 67A IT ACT थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- समीर यादव पुत्र सुधिराम यादव निवासी गद्दीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरण:- एक मोबाइल

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

थाना – मेंहनाजपुर

चोरी गये मोबाइल के साथ एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 05.05.24 आवेदक विकाश पाल पुत्र श्री छेदी पाल ग्राम चकिया कसरावल थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि दिनांक 05.05.24 को सुबह 10.00 बजे के लगभग मेरे घर में मोबाईल रखा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल चुरा लिया गया जो पोको कम्पन्नी का मोबाइल सेट था मोबाइल में जियो का सीम नं0 70842xxxxx लगा था के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/2024 धारा 380 भादवि वादी श्री विकाश पाल पुत्र श्री छेदी पाल निवासी ग्राम चकिया कसरावल थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया ,जिसकी विवेचना उ0नि0 फूलचन्द यादव द्वारा की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण :-

दिनांक 08.05.24 को उ0नि0 फूलचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में थाना मेंहनाजपुर क्षेत्र का एक बाल अपचारी को चोरी गये 01 पोको मोबाइल के साथ टैम्पो स्टैण्ड मेहनाजपुर अस्पताल के पास से समय करीब 07.20 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 67/24 धारा- 380,411 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास :- मु0अ0सं0 67/24 धारा- 380,411 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

पुलिस अभिरक्षा बाल अपचारी :- 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

विवरण बरामदगी: एक मोबाईल पोको (POCO)

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम :- 1. उ0नि0 फूलचन्द यादव मय हमराह थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़